

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./गुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील दौसा जिला दौसा की तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा का सृजन करती है।


नव सृजित तहसील नांगल राजावतान के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	दौसा	बनियाना	1. ढिगारिया 2. बनियाना 3. कंवरपुरा
2		लवाण	4. लवाण ए 5. लवाण बी 6. खानपुरा 7. रजवास 8. पूर्वियावास 9. खानवास 10. मांड़ेडासुनारपुरा
3		नांगल राजावतान	11. डुगरावता 12. नयागाँव 13. मलवास 14. नांगल राजावतान 15. प्यारीवास 16. मानपुरिया 17. बड़ागाँव 18. ठीकरिया 19. लाहड़ी का बास 20. चूड़ियावास 21. बैजवाड़ी 22. छारेड़ा 23. कालीखाड़ 24. थूमड़ी

u

4		आलूदा	25. हापावास
			26. धरणवास
			27. श्यालावास
			28. महाराजपुरा
			29. खवारावजी
			30. पापडुदा
			31. आलूदा ए
			32. आलूदा बी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

21/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

21/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

21/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :-प.9(30)सज./ग्रुप-1/2010

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर का सृजन करती है।


नव सृजित तहसील भणियाणा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क.सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	पोकरण	भणियाणा	भणियाणा
2			सरदारसिंह की ढाणी
3			रातडिया
4			बारठ का गांव
5			झाबरा
6			माडवा
7			जैमला
8			लूणाकलां
9			भैसडा
10			पनासर
11			झलारिया
12			जालोडा पोकरणा
13		फलसूड	फलसूड
14			भुर्जगढ
15			दांतल
16			राजगढ
17			ओला
18			राजमथाई
19			बलाड
20			बांधेवा
21			मानासर
22			पदमपुरा

HR

23			स्वामी जी की द्वाणी
24			भीखोड़ाई जूनी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा का सृजन करती है :-

नवसृजित तहसील सज्जनगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र०सं०	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	कुशलगढ़	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़
2			टाण्डा रतना
3			खुंटा चतरा
4			राठधनराज
5			जीवा खुंटा
6			रोहनिया लक्ष्मण सिंह
7			भुरा कुआ
8			खुन्दनी हाला
9			टाण्डा मंगला
10			गोदावाडा नारंग
11		ताम्बेसरा	ताम्बेसरा
12			अन्देश्वर
13			मगरदा डामरा साथ
14			पाली बडी
15			इटाला

6

16			शक्करवाडा
17			सागवा
18			महुडी
19			बिलडी
20		डूंगरा छोटा	डूंगरा छोटा
21			बावडीपाडा
22			डूंगरा बडा
23			मछारा साथ
24			हिम्मतगढ़
25			सातसेरा
26			कसारवाडी
27			मुनिया खूटा
28			मस्का बडा
29			टाण्डीबडी
30			जालिमपुरा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 5/12
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाते बाबत।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील मेड़ता एवं तहसील डेगाना जिला नागौर का पुनर्गठन/ नवीन सृजन कर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील रियांबड़ी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र०सं	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	मेड़ता	रियाबड़ी	रियाबड़ी
2			जाटावास
3			बीजाथल
4			सैंसडा
5			रोहिसा
6			झीटिया
7			जडाउ कलां
8		भैरुंदा	भैरुंदा
9			डोडियाना
10			मोडीकलां
11			सथानाकलां
12			निम्बोलाबिश्वा
13			सूदवाड़
14		थांवला	थांवला
15			लाडपुरा
16			बाडीघाटी

17			कोड
18			टेहला
19			ढाणीपुरा
20			आलनियावास
21		जसनगर	जसनगर
22			चून्दिया
23			कात्यासनी
24			जसवन्ताबाद
25			लीलियां
26	डेगाना		मुगदडा
27			भंवाल
28			बडायली
29			मेडास
30		पादूकलां	पादूकलां
31			पादू खुर्द
32			लाम्पोलाई
33			बग्गड
34			अरनियाला
35			गवारडी
36			चावण्डिया कलां
37			धांधलास उदा
38			मोररा

आज्ञा से

५/३१/५/१२
(अनार सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाते बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक 31.5.2012

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील नावां जिला नागौर का पुनर्गठन कर अतिरिक्त तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर को अतिरिक्त तहसील से कमोन्नत कर नवीन तहसील कुचामन सिटी का सृजन करती है।


नवसृजित तहसील कुचामन सिटी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र०सं	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	नावां	कुचामन सिटी (पुनर्गठित)	कुचामन सिटी
2			रूपपुरा
3			पलाडा
4			नारायणपुरा
5			मण्डावरा
6			सरगोठ
7			आननदपुरा
8			उगरपुरा
9			रसाल
10		पांचवा (नवसृजित)	पांचवा
11			खारिया
12			दीपपुरा
13			प्रेमपुरा
14			हीराणी
15			जिलिया
16			चारणवास

५

17		चितावा (पुनर्गठित)	चितावा
18			अडकसर
19			शिव
20			परेवडी
21			कुकनवाली
22			चावन्डिया

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

:- अधिसूचना :-


राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बहरोड जिला अलवर की उप तहसील नीमराना को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील नीमराना जिला अलवर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील नीमराना के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम भू0अ0नि0	नाम पटवार मण्डल
1	2	3	4
1	बहरोड	1. नीमराना	1. नीमराना
			2. सलारपुर
			3. दौलतसिंहपुरा
			4. प्रतापसिंहपुरा
			5. बिचपुरी
			6. कोलीलाजोगा
			7. घीलोट
		2. शाहजहाँपुर	8. शाहजहाँपुर
			9. गुगलकोटा
			10. कुतीना
			11. श्रीयानी
			12. जोनायचाखुर्द
			13. जोनायचाकला
			14. फौलादपुर
		3. मांढण	15. मांढण
			16. परतापुर
			17. हुडियाकला
			18. काटूवास

		19. खून्दरोठ
		20. नानगवास
		21. महतावास
		22. सांतो
		23. गिगलाना
		24. डाबडवास
	4. माजरीकलां	25. माजरीकलां
		26. अकलीमपुर
		27. डूमरोली
		28. कायसा
		29. रैवाना
		30. दौसोद
		31. रोडवाल
		32. माजरा
		33. कान्हावास

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील राजगढ जिला अलवर की उप तहसील रैणी को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील रैणी जिला अलवर का सृजन करती है।


नवसृजित तहसील रैणी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :—

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम भू0अ0नि0	नाम पटवार मण्डल
1	2	3	4
1	राजगढ	1. रैणी	1. रैणी A
			2. रैणी B
			3. जामडोली
			4. डेरा
			5. प्रागपुरा
			6. कीलपुरखेडा
			7. भजेडा
		2. पाटन	8. पाटन
			9. राजपुर छोटा
			10. छिलोडी
			11. बीलेटा
			12. डौरोली
			13. पाडा
		3. माचाडी	14. माचाडी
			15. टहटडा
			16. सालोली
			17. बबेली

L

			18. बैरेर
			19. भूलेरी
		4. पिनान	20. पिनान
			21. गढीसवाईराम
			22. भूडा
			23. बहडकोकलां
			24. परवैणी
			25. ईटोली
			26. रामपुरा
			27. कानेटी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण मे, राज्य सरकार एतद्वारा तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं का नवीन सृजन करती है।

नवसृजित तहसील मलसीसर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	मलसीसर	1. मलसीसर	1. बाडेट
2			2. ढीलसर
3			3. कालियासर
4			4. मलसीसर
5			5. जाबासर
6			6. निराधनू
7			7. झटावा खुर्द
8			8. टमकोर
9			9. गोखरी
10			10. भूदा का बास
11			11. अलसीसर
12			12. ककड़ेऊ कला
13		2. बिसाऊ	13. कोदेसर
14			14. गागियासर
15			15. बिरमी
16			16. बिसाऊ
17			17. महनसर
18			18. भीखनसर

u

19			19 पिलानी खुर्द
20			20 दिलोई
21			21 पाटोदा
22			22 चुडेला
23			23 टाई
24		3. रामपुरा	24 कोलिण्डा
25			25 कांट
26			26 हसासर
27			27 लूणा
28			28 हरीपुरा
29			29 रामपुरा
30			30 सोनासर
31			31. डाबड़ीधीरसिंह
32			32. बाजला
33			33. लादूसर
34			34. धनूरी
35			35. हमीरीकलां

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 21/5/12
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

रजि. 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

रजि. 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

रजि. 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू की उप तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू को कमोन्नत कर तहसील सूरजगढ़ का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील सूरजगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू.अ.नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	चिडावा	सूरजगढ़	धिगड़िया
2			काकोड़ा
3			अगवाना खुर्द
4			किढवाना
5			बड़सरी का बास
6			सूरजगढ़
7			सेहीकला
8			घण्डावा
9			अडूका
10			स्वामी सेही
11			लाखू
12			काजड़ा
13			जीणी
14			देवरोड़
15	भावठड़ी		बेरला
16			बलौदा
17			उरीका
18			महपालवास

H

19			कुलोठ कला
20			भावठडी
21			पिलोद
22			फरट
23			जाखोद
24			लोटिया
25			डुलानिया
26			पीपली
27			लीखवा
28			दूदवा
29		पिलानी	खुडानिया
30			झेरली
31			घूमनसर कला
32			बेरी
33			सूजडोला
34			बनगोठडी कला
35			मोरवा
36			भगीना
37			पिलानी
38			पिलानी
39			हमीनपुर

आज्ञा से
 (अन्तर सिंह) 4/31/5/12
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बून्दी जिला बून्दी का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील तालेड़ा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.स.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	बून्दी	1. तालेड़ा,	1.तालेड़ा 2.अकतासा 3.जमीतपुरा 4.केथूदा 5.बल्लोप 6.नोताड़ा भोपत 7.जाखमूण्ड 8. देलून्दा 9. लीलेडा व्यासान
2		2. बरूधन	10. बरूधन 11. अल्फानगर 12. ठीकरिया चारणान 13. लक्ष्मीपुरा 14. तालाब बरधा 15. डोरा



3		3. डाबी	16. डाबी 17. राजपुरा 18. धनेश्वर 19. लाम्बाखोह 20. गणेशपुरा 21. गोपालपुरा 22. बुद्धपुरा 23. जवाहर सागर 24. खडीपुर
4		4. बाजड	25. बाजड 26. बडून्दा 27. लाडपुर 28. गामछ 29. देहित 30. सुवांसा 31. तीरथ 32. सीन्ता

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/01/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील भूपालसागर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम भूअ.नि वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1		1 भूपाल सागर	1 भूपालसागर
			2 अनोपपुरा
			3 जाशमा
			4 कानाखेड़ा
			5 उसरोल
			6 भूपालनगर
			7 बूल
2		आकोला	8 आकोला
			9 बबराना
			10 ताणा
			11 मूरला
			12 गुन्दली
			13 कानरखेड़ा
			14 रायपुरिया कलौ
3		कांकरवा	15 कांकरवा
			16 निलोद
			17 चोरवडी
			18 पारी
			19 पटोलिया
			20 फलासिया
			21 रावतिया

6

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:-

:- अधिसूचना :-


राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा जिला भरतपुर तहसील वैर का पुर्नगठन/सृजन कर तहसील भुसावर जिला भरतपुर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील भुसावर के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू.अ. निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	वैर	1.पथैना	1.पथैना
2			2.बवेखर
3			3.अलीपुर
4			4.नारौली
5			5.छौंकरवाडा कला
6			6.नैवाडा
7			7.भैसीना
8			8.कमालपुरा
9			9.बाछरैन
10			10.झारौटी
11		2.भुसावर	11.भुसावर प्रथम
12			12.भुसावर द्वितीय
13			13.इटामडा
14			14.सलैमपुर खुर्द
15			15.चैटोली
16			16.दीवली
17			17.सुहारी
18		3.बल्लभगढ	18.बल्लभगढ
19			19.सैधली
20			20.गौगेरा
21			21.सलैमपुर कला
22			22.मैनापुरा

23			23.निठार
24			24.रणधीरगढ
25			25.माईदपुर

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 31.5.2012

:-अधिसूचना:-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956)की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सीकर जिला सीकर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील धोद जिला सीकर का नवीन सृजन करती है ।

नव सृजित तहसील धोद के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सीकर	धोद	धोद
2			बोसाना
3			कासली
4			कंवरपुरा
5			भुवाला
6			नेतड़वास
7			नागवा
8			पेवा
9			दुगोली
10		सिहोट बड़ी	सिहोट बड़ी
11			सिंगरावट
12			लोसल छोटी
13			शाहपुरा
14			मोरडुंगा
15			फतेहपुरा
16			पूर्णपुरा
17			बिजासी
18			अनोखू
19			सरवड़ी
20			सेवद बड़ी

१६

21		सिहोटछोटी	सिहोटछोटी
22			सेवा
23			सांवल्लोद पुरोहितान
24			खाखोली
25			सांवल्लोदा धायलान
26			किरडोली
27			झीगर छोटी
28			भढाढर
29			श्यामपुरा
30			भैरूपुरा
31		दुजोद (आंशिक)	दुजोद
32			पुरा बडी
33			मण्डावरा
34			माण्डोता
35			गोठडा तगालान
36			बिडोली
37			बाडलवास
38			मुण्डवाडा
39		दादिया (आंशिक)	गोठडा भूकरान
40			कूदन
41			जेरठी
42			रसीदपुरा
43			पलथाना

आज्ञा से
 (अन्वर सिंह)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक:-प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 31.5.2012

-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का पुनर्गठन कर तहसील खण्डेला जिला सीकर का नवीन सृजन करती है।


नव सृजित तहसील खण्डेला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क.सं.	नाम तहसील	भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर (आंशिक)	जयरामपुरा
2			ढाल्यावास
3			रलावता
4			नीमेड़ा
5		रींगस (आंशिक)	बावडी
6			लाखनी
7		जाजोद	जाजोद
8			पुजारीकाबास
9			कांसरडा
10			ठिकरिया
11			मलिकपुर
12			बृसिंहपुरा
13			खटुन्दरा
14			रोयल
15			गोविन्दपुरा
16			दुधवालों का बास
17		खण्डेला	खण्डेला
18			दायरा
19			रामपुरा
20			गुरारा
21			पनिहारवास

॥

22			केरपुरा
23			कोटडी लुहारवास
24			ढाणी गुमानसिंह
25			चौकडी
26			गोकुल का बास
27		काँवट	काँवट
28			भादवाडी
29			लोहरवाडा
30			दुल्हेपुरा
31			जुगलपुरा
32			सुजाना
33			बासडी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड), तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प-9(30) राज/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं की आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा अतिरिक्त तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर में तहसील फतेहपुर जिला सीकर का पुर्नगठन कर अतिरिक्त तहसील से क्रमोन्नत कर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील रामगढ शेखावाटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भूअ. निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	नाम तहसील	भूअ.निरीक्षक वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	फतेहपुर	ढांढण	पालास
2			ढांढण
3			रोहलसाहबसर
4			हुडेरा
5			देवास
6			खोटिया
7		रामगढ	रामगढ
8			सहनुसर
9			ताखलसर
10			कायमसर
11			ठिमोली
12			गोडिया बड़ा
13			तिहावली

आज्ञा से


(अनंर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील बाप जिला जोधपुर का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बाप के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.स.	नाम तहसील	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	फलौदी	बाप (पुनर्गठित)	बाप
2			घटोर
3			सांवरगोव
4			कानसिंह की सिङ्ग
5			बड़ी सिङ्ग
6		जाम्बा (नवसृजित)	जाम्बा
7			चारणाई
8			श्री सुरपुरा
9			क.सिङ्ग
10			ननेऊ
11		बावड़ी कलां (नवसृजित)	बावड़ीकलां
12			जोड़
13			मलार
14			राणेरी
15			शेखासर
16		देदासरी (नवसृजित)	देदासरी
17			टेपू
18			टेकरा
19			कानासर

५

20			नूरे की भूर्ज
21			बारू
22		चाखू (नवसृजित)	चाखू
23			लूणा
24			चिमाणा
25			केलनसर
26			मोटाई
27		घटियाली (नवसृजित)	घटियाली
28			चाम्पासर
29			बूंगडी
30			रोहिणा
31			जैसला
32			नोखड़ा भाटियान्

आज्ञा से

(अन्तर् सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/11/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/11/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/11/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील बालेसर जिला जोधपुर का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बालेसर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. स.	नाम तहसील	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	शेरगढ़	बालेसर (पुनर्गठित)	बालेसर सता
2			बालेसर दुर्गावता
3			खारीबेरी
4			कुई इन्दा
5			बेलवा
6			बेलवा राणाजी
7		आगोलाई (नवसृजित)	आगोलाई
8			दुगर
9			भाटेलाई पुरोहितान्
10			बावरली
11			ढाढणिया सासण
12			ढाढणिया भायला
13		खुडियाला (नवसृजित)	खुडियाला
14			उटाम्बर
15			बिराई
16			निम्बो का गांव
17			गोपालसर
18			बस्तवा

19		चामू (पुनर्गठित)	चामू
20			गोदेलाई
21			बारनाउ
22			डेरिया
23			भालू अनोपगढ
24		लोडता अचलावता (नवसृजित)	लोडता अचलावता
25			कनोडिया पुरोहितान
26			गिलाकौर
27			देवातु
28			नाथडाउ
29		सेखाला (नवसृजित)	सेखाला
30			केतुकला
31			केतुमदा
32			भालू राजवा
33			देडा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजे0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतिियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/09/2012
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील भोपालगढ़ एवं औंसियां जिला जोधपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील बावड़ी जिला जोधपुर का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील बावड़ी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.स.	नाम तहसील	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	भोपालगढ़	बावड़ी (पुनर्गठित)	बावड़ी प्रथम
2			बावड़ी द्वितीय
3			जोईन्तरा
4			कास्टी
5			नेतडा
6			बिराई
7		सोयला (नव सृजित)	सोयला
8			कजनाऊ कलां
9			खेडापा
10			मेलाणा
11			लवेरा कलां
12		गंगाणी (नव सृजित)	गंगाणी
13			मेलावास
14			बुचेटी
15			सेवकी कला
16			बोड़वी खुर्द
17	औंसिया	नान्दिया खुर्द (नव सृजित)	नान्दिया खुर्द
18			हतुण्डी
19			नान्दिया कला
20			धनारी कलां
21			तापू

M

22		बारा खुर्द (नव सृजित)	बारा खुर्द
23			खिन्दाकौर
24			चान्दरख
25			डॉवरा
26			बासनी डॉवरा
27		भवाद (नव सृजित)	भवाद
28			जुड
29			केलावा कलां
30			अणवाणा
31			उम्मेदनगर

आज्ञा से

14/01/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बिलाडा एवं भोपालगढ़ जिला जोधपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर का सृजन करती है।


नव सृजित तहसील पीपाड शहर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. सं.	नाम तहसील	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	बिलाडा	पीपाडशहर	पीपाडशहर
2			सिन्धीपुरा
3			रियां
4			बोयल
5			जसपाली
6			सिलारी
7		बोरुन्दा	बोरुन्दा
8			भाखरो की ढाणी
9			सोवनिया
10			चौकडी कलां
11			चौकडी खुर्द
12			खवासपुरा
13		चिरडाणी	चिरडाणी
14			तिलवासनी
15			नानण
16			रावनियाना
17			मालावास

h

18	भोपालगढ		मादलिया
19		बुचकला	बुचकला
20			चौढा
21			सालवाखुर्द
22			बाडा कलां
23			खेडीसालवा
24			रामडावास कलां
25			कुड
26		साथीन	साथीन प्रथम
27			साथीन द्वितीय
28			कोसाणा
29			खांगटा
30			पालडी सिद्धा
31			भुण्डाणा
32			मलार

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद्वारा जालौर जिले की तहसील सांचोर एवं उप तहसील चितलवाना का पुनर्गठन कर एवं उप तहसील चितलवाना को कमौन्नत कर एक नई तहसील चितलवाना जिला जालौर सृजित करती है ।

नव सृजित तहसील चितलवाना के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सांचोर	चितलवाना	1-चितलवाना 2-रामपुरा 3-परावा 4-सिवाडा 5-होतीगांव 6-आकोली
2		केरिया	7-केरिया 8-डूंगरी 9-सेसावा 10-दूठवा 11-वीरावा 12-रणोदर
3		सुराचन्द	13-सुराचन्द 14-भीमगुडा 15-टांपी 16-भवातडा 17-खेजडियाली 18-सूथडी 19-वालेरा

u

4		झाब	20-झाब 21-इटादा 22-अणखोल 23-गुडाहेमा 24-निम्बाऊ 25-देवडा
5		हाडेचा	26-हाडेचा 27-केसूरी 28-जाणवी 29-काछेला 30-डावल 31-रतौडा

आज्ञा से

21/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/11/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/11/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/11/12
सहायक शासन सचिव

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक 31-5-2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद्वारा जालौर जिले की तहसील भीनमाल का पुनर्गठन कर, एक नई तहसील जसवन्तपुरा जिला जालौर सृजित करती है ।

नव सृजित तहसील जसवन्तपुरा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	भीनमाल	जसवन्तपुरा	1-जसवन्तपुरा 2-गजापुरा 3-गोलाणा 4-डोरडा 5-चान्दूर 6-चेकला
2		रामसीन	7-रामसीन 8-पूनांगकला 9-झांक 10-माण्डोली 11-बूगांव 12-चांदणा 13-सोमता
3		मोदरा	14-मोदरां 15-सेरणा 16-धानसा 17-अति.धानसा 18-बांसडाधनजी 19-तातोल 20-जोडवाडा 21-लूर

५

4		भरुडी	22- भरुडी 23-खानपुर 24-तवाब 25-मुडतरासीली 26-थूर 27-सिणधरा 28-मुन्धलाकाबा
5		दांतलावास-मुख्यालय राजपुरा	29-दांतलावास 30-पावली 31-गजीपुरा 32-सावीदर 33-पूरण 34-पंसेरी 35-राजीकावास

आज्ञा से

13/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :- प9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

-:: अधिसूचना ::-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा का सृजन करती है :-


नवसृजित तहसील छोटीसरवन के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	पटवार मण्डल
1	बांसवाड़ा	दानपुर	दानपुर
2			हरनाथपुरा
3			जहॉपुरा
4			छायनबडी
5			छोटी सरवन
6			मुलिया
7			मकनपुरा
8			वागतालाब
9			खजुरी
10			गागरवा
11			घोडी तेजपुर
12		कटुम्बी	कटुम्बी
13			दनाक्षरी
14			बारी

५

15			कोटडा
16			फेफर
17			नादिया
18			नापला

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा का पुनर्गठन कर तहसील आनन्दपुरी का नवीन सृजन कर तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा का पुनर्गठन करती है :-


नवसृजित तहसील आनन्दपुरी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र०सं०	नम्र तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	बागीदौरा	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी
2			मैना पादर
3			छाजा
4			वरेठ
5			ओबला
6			वड़लिया
7			कड़दा
8			फलवा
9			चिकली तेजा
10			टामटिया
11			आमलिया आम्बादरा
12			पाट नवाधरा
13			डोकर
14		चान्दरवाड़ा	चान्दरवाड़ा
15			बरजडिया
16			कानेला

॥

17			मडकोला मोगजी
18			मुन्दरी
19			रतनपुरा
20			चोरडी
21			भलेर भोदर
22			नाहरपुरा
23			काजलिया
24			सुन्द्राव
25			पाटीया गलीया
26			उदयपुरा बड़ा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

2012/3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

2012/3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

2012/3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ का सृजन करती है।**

नवसृजित तहसील भूपालसागर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम भू.अ.नि वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1		1 भूपाल सागर	1 भूपालसागर
			2 अनोपपुरा
			3 जाशमा
			4 कानाखेड़ा
			5 उसरोल
			6 भूपालनगर
			7 बूल
2		आकोला	8 आकोला
			9 बबराना
			10 ताणा
			11 मूरला
			12 गुन्दली
			13 कानरखेड़ा
			14 रायपुरिया कलौ
3		कांकरवा	15 कांकरवा
			16 निलोद
			17 चोरवड़ी
			18 पारी
			19 पटोलिया
			20 फलासिया
			21 रावतिया

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर,दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील बिछीवाडा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत्त	नाम पटवार मंडल
1	डूंगरपुर	बिछीवाडा	बिछीवाडा
2			चुडावाडा
3			मोदर
4			पालीसोडा
5			गेड
6			तलैया
7			पंथाल
8			खजुरी
9			मालमाथा
10		बोखला	बोखला
11			पालपादर
12			शिशोद
13			आमझरा
14			बरोठी
15			साबली
16		कनबा	कनबा
17			छापी
18			नवलश्याम
19			ओडाबडा
20			करोली
21			संचिया
22		गामडीअहाडा	गामडीअहाडा
23			रामपुरमेवाडा
24			गलन्दर
25			झालुकुआ
26			मेवाडा
27			वीरपुर
28			भेहणा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील चिखली जिला डूंगरपुर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील चिखली के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत्त	पटवार वृत्त
1	सीमलवाडा	चिखली	चिखली
2			सालेडा
3			साकोदरा
4			बावडी
5			अम्बाडा
6			बडगामा
7			कोचरी
8		कुआं	कुआं
9			गुन्दलारा
10			डूंगर सारण
11			नई बस्ती बडगामा
12			डूंगर
13			सेण्डोला
14			दरीयाटी
15			पुनावाडा
16			नोलीयावाडा

आज्ञा से


(अन्त सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

राज्य
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

राज्य
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

राज्य
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील गलियाकोट के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत्त	पटवार वृत्त
1	सागवाडा	चितरी	चीतरी
2			गडा जसराजपुर
3			गलियाकोट
4			सिलोही
5			भेमई
6			झौसावा
7			भेसरा छोटा
8			जोगपुर
9			घोंटा का गांव
10		गरियता	गरियता
11			गडा मेडतिया
12			रामसौर
13			जसैला
14			कसारीया
15			नादीया
16			बाबा की बार
17			रातडीया

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

hcmia
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

hcmia
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

hcmia
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील साबला जिला डूंगरपुर का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील साबला के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत्त	पटवार वृत्त
1	आसपुर	साबला	साबला
2			पिण्डावल
3			दौलपुरा
4			वालाई
5			सागोट
6			लेम्बाता
7		निठाउवा	निठाउवा
8			पाल निठाउवा
9			गामडी
10			खानन
11			म्याला
12			रीछा
13			सोलज
14		माल	माल
15			बोडीगामा बडा
16			बोडीगामा छोटा
17			काब्जा
18			पचलासा छोटा
19			पचलासा बडा
20		मूंगेड	मूंगेड
21			तालोरा
22			नांदली अहाडा
23			भेखरेड
24			लोडावल

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./गुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील साबला जिला डूंगरपुर का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील साबला के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0वृत्त	पटवार वृत्त
1	आसपुर	साबला	साबला
2			पिण्डावल
3			दौलपुरा
4			वालाई
5			सागोट
6			लेम्बाता
7		निठाउवा	निठाउवा
8			पाल निठाउवा
9			गामडी
10			खानन
11			म्याला
12			रीछा
13			सोलज
14		माल	माल
15			बोडीगामा बडा
16			बोडीगामा छोटा
17			काब्जा
18			पचलासा छोटा
19			पचलासा बडा
20		मूंगेड	मूंगेड
21			तालोरा
22			नांदली अहाडा
23			भेखरेड
24			लोडावल

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/12/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/12/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/12/12
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./गुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.12

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर का पुर्नगठन/नवसृजन कर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर का सृजन करती हैं।


नवसृजित तहसील वजीरपुर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे -

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल
	गंगापुर सिटी	1. खण्डीप	1.रेण्डायल गूजर 2. शिवाला 3.खण्डीप ए. 4.खण्डीप बी 5.रायपुर 6.मोहचा 7.मेंडी 8.फुलवाडा
		2. वजीरपुर	9.पावटा 10.वडोली 11.मीनावडोदा 12.शयारोली 13.वजीरपुर ए 14.वजीरपुर बी 15.शेखपुर 16.वगलाई



		3. पीलोदा	17. पीलोदा ए 18. पीलोदा बी 19. सेवा ए 20. सेवा बी 21. महानन्दपुर डयोढा 22. उदेई खुर्द ए 23. उदेई खुर्द बी 24. जीवली
--	--	-----------	--

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

10/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

10/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

10/01/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012 .

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील अजमेर जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील पुष्कर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल	
1		पुष्कर	1	पुष्कर
			2	गनाहेड़ा
			3	तिलोरा
			4	किशनपुरा गोयला
			5	नांद
			6	लेसवा
2		कड़ैल	7	कड़ैल
			8	मझेवला
			9	देवनगर
			10	कानस
			11	खोरी
			12	होकरां

आज्ञा से
31/5/12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012


--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील रूपनगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	नाम पटवार मण्डल	
1	किशनगढ़	रूपनगढ़	1	रूपनगढ़-1
			2	रूपनगढ़-11
			3	पनेर
			4	निट्टी
			5	नंवा
			6	रधुनाथपुरा
			7	जाजोता
2		कोटड़ी	8	कोटड़ी
			9	उजोली
			10	नोसल
			11	भदूण
			12	सनोदिया
			13	झाग
3		हरमाड़ा	14	हरमाड़ा
			15	मोरड़ी
			16	सुरसरा
			17	त्योद

			18	जूणदा
			19	बुहारु
4		करकेड़ी	20	करकेड़ी-1
			21	करकेड़ी-11
			22	अमरपुरा
			23	रोडावास
			24	पिंगलोद
			25	थल
			26	सिंगला

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील पाली व देसूरी जिला पाली के निम्नांकित पटवार मण्डलों का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील रानी जिला पाली का गठन करती है।

नवसृजित तहसील रानी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्रम संख्या	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	पटवार मण्डल का नाम
1	देसूरी	खिवाडा	खिवाडा
2			सिवास
3			घेनडी
4			पिलोवनी
5			नीपल
6			केरली
7			वणदार
8			गजनीपुरा
9			सांवलता
10	पाली		इन्दरवाडा
11			देवली
12			जीवन्द कलां
13			ढारिया
14			भादरलाउ
15			ईटन्दडा मेडतियान
16			रानीखुर्द (शहरी)
17			रानीकला
18			वरकाणा
19			ईटन्दडा चारणान
20			बिजोवा

R

21			किशनपुरा
22			जवाली
23			सालरिया
24			बुसी
25			निम्बाड़ा
26			खौड
27			बालराई
28			चांचौड़ी
29			नादाना-भाटान
30			माण्डल
31			कीरवा

आज्ञा से

M. S. / 12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

—: अधिसूचना —:

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील ब्यावर जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर नवीन तहसील टाटगढ़ जिला अजमेर का सृजन करती है।

नव सृजित तहसील टाटगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र. सं.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र	पटवार मण्डल	
1	ब्यावर	जवाजा	1	जवाजा
			2	भगवानपुरा
			3	सूरजपुरा
			4	जालिया-11 वासरूपा
			5	लोटियाना
			6	बिहार रतनपुरा
			7	तारागढ़
			8	दान्दोला
			9	रावतमाल
2		काबरा	10	काबरा
			11	धोलादांता-11
			12	नाईकलां
			13	चिलियाबड
			14	देवाता
			15	अनाकर
			16	बड़कोचरा
			17	भूरियाखेड़ा कलां

3		टाटगढ़	18	टाटगढ़
			19	मालातों की बेर
			20	लूणोता
			21	मेडिया
			22	बराखन
			23	आसन
			24	सातूखेड़ा
	4			खेड़ाकलां
		26	रूपनगर अरनाली	
		27	बामनहेड़ा	
		28	खोड़माल	
		29	चरपला	
		30	बनजारी	
		31	पालड़ी	

आज्ञा से

M/31/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज. /गुप-1 /2012

जयपुर, दिनांक : 31.5-2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवसृजन कर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा का सृजन करती है।


नवसृजित तहसील करेड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	माण्डल	करेड़ा	1 करेड़ा प्रथम
			2 करेड़ा द्वितीय
			3 करेड़ा तृतीय
			4 भभाणा
			5 सेहणूदा
			6 गोरधनपुरा
			7 आमदला
2		ज्ञानगढ़	8 ज्ञानगढ़
			9 मोटा का खेड़ा
			10 शिवपुर
			11 कीड़िमाल
			12 नारेली
			13 चिताम्बा
			14 थाणा
3		निम्बाहेड़ा जाटान	15 निम्बाहेड़ा(जा.)प्रथम
			16 निम्बाहेड़ा(जा.)द्वितीय
			17 गोरखिया
			18 चिलेश्वर
			19 उमरी
			20 धुँवाला (क.)

R

4		बेमाली	21 बेमाली
			22 लादूवास ।
			23 लादूवास ।।
			24 चावण्डिया
			25 दहीमथा
			26 रामपुरिया

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना जूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/12/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/12/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/12/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवसृजन कर तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील बदनोर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	आसीन्द	बदनोर	1 बदनोर
			2 भादसी
			3 मोगर
			4 ओझियाणा
			5 मोठी
			6 चतरपुरा
			7 रतनपुरा (भादसी)
2		मोटरास	8 मोटरास
			9 पाटन
			10 रामपुरा
			11 संग्रामगढ
			12 आकड़सादा
			13 जेतगढ
3		कटार	14 कटार
			15 भोजपुरा
			16 चैनपुरा

११

			17 परा
			18 बाजून्दा
			19 जगपुरा

आज्ञा से

M/21/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील फूलियांकला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	शाहपुरा	फूलियांकला	1. फूलियांकला प्रथम
			2. फूलियांकला द्वितीय
			3. हुकमपुरा
			4. रलायता
			5. सणगारी
			6. रामपुरा
			7. तस्वारियाबासा
			8. बासेडा
			9. बडला
2		अरवड	10. अरवड
			11. पेटा अरवड
			12. कोठिया
			13. ईटडिया
			14. सांगरिया
			15. धनोप
			16. मालीखेडा
3		कनेछनकलां	17. कनेछनकलां
			18. पेटानाहरसागर
			19. देवरिया
			20. नई राज्यास
			21. कनेछनखुर्द

h

			22 डेलांस
			23 डोहरिया
			24 बालापुरा

आज्ञा से

M/31/5/12
(अन्तर सिद्ध)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

2009/315/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

2009/315/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

2009/315/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज. /ग्रुप-1 /2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवसृजन कर तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील हमीरगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1		हमीरगढ़	1. हमीरगढ़ प्रथम
			2. हमीरगढ़ द्वितीय
			3. ओज्याड़ा
			4. तख्तपुरा
			5. बरडोद
			6. सेथूरिया
			7. जागदरी
			8. दूड़िया
2		मंगरोप	9. मंगरोप प्रथम
			10. मंगरोप द्वितीय
			11. पीपली
			12. आमलीगढ़
			13. स्वरूपगंज
			14. खेराबाद
			15. बिलियाकलां
			16. देवली

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

hania 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

hania 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

hania 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सुजानगढ जिला चूरु का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर तहसील बीदासर जिला चूरु का सृजन करती है ।

नवसृजित तहसील बीदासर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.स.	नाम तहसील	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	सुजानगढ	बीदासर	बीदासर
2			कालेरा की ढाणी
3			ढढेरु भामुवान
4			चाडवास
5			दूकर
6			बालेरा
7			घटीयाल बडी
8			लुहारा
9		तेहनदेसर	तेहनदेसर
10			सडू छोटी
11			ईयारा
12			उंटालड
13			पारेवडा
14			उडवाला
15			बम्बू
16			साण्डवा
17		लालगढ	लालगढ
18			जोगलसर
19			कल्याणसर
20			अमरसर
21			कातर छोटी
22			बाढसर
23			गेवरसर

आज्ञा से


(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त स्थायी आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनमणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प.9 (30) राज/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012


-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बसेडी जिला धौलपुर का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर अतिरिक्त तहसील सरमथुरा को कमोन्नत कर तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील सरमथुरा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र०सं०	नाम तहसील	भू अ० नि० वृत्त	पटवार मण्डल
1	बसेडी	1. सरमथुरा	1. सरमथुरा प्रथम
2			2. सरमथुरा द्वितीय
3			3. डौमई
4			4. ददरौनी
5			5. मल्लपुरा
6			6. रीझौनी
7			7. बीलौनी
8			8. बडागांव
9			9. चांदपुरा
10			10. गौलारी प्रथम
11			11. गौलारी द्वितीय
12			12. मदनुपर
13			13. झिरी प्रथम
14			14. झिरी द्वितीय
15		2. आंगई	15. आंगई
16			16. पिपरैठ
17			17. रडरई
18			18. धौन्ध
19			19. बरौली
20			20. बीझौली
21			21. गुढा
22			22. मडासिल
23			23. खुर्दिया
24			24. लीलौठी
25			25. भरकूजरा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


--:अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ की उप तहसील असनावर को कमौन्नत कर तहसील असनावर जिला झालावाड़ का सृजन करती है :-

नवसृजित तहसील असनावर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र स	नाम तहसील	भू0अ0नि0 वृत्त	प0म0
1	झालावाड़	असनावर	असनावर
2			जूनाखेडा
3			बडोदिया
4			डूंगरगांव
5			लावासल
6			टांडीसोहनपुरा
7			खेडला
8		मण्डावर	मण्डावर
9			रूपारेल
10			गोरधनपुरा
11			कोलाना
12			इकतासा
13			पनवासा
14			बडबेला

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज. विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सांगोद जिला कोटा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील कनवास जिला कोटा का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील कनवास के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सांगोद	कनवास	1-कनवास
			2-मोरुकला
			3-जालिमपुरा
			4-हिगोनिया
			5-झालरी
			6-आवां
			7-खजूरना
			8-सावनभादो
2		देवली	9-देवली
			10-ढोटी
			11-हरिपुरामांझी
			12-कुराड
			13-बृजनगर
			14-खजूरी
			15-बालूहेडा

4

3		धूलेट	16-धूलेट
			17- बास्याहेडी
			18- सीमल्या
			19-दांता
			20-लोडाहेडा
			21- मामोर
			22- पानाहेडा

आज्ञा से

(अन्तर (सिंह) 5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला, कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना खूंखर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग
क्रमांक प.9 (30)राज./गुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 31.5.2012

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील सिणधरी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.स.	नाम तहसील	भू अ० निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1.	गुड़ामालानी	सिणधरी (पूर्ण)	सिणधरी
2.			करना
3.			भूका वगतसिंह
4.			दांखा
5.			धनवा
6.			जूनामीठा खेडा
7.			चाडों की ढाणी
8.			होडू
9.			डण्डाली
10.			कमठाई
11.		नोखडा (आंशिक)	आडेल
12.			निम्बलकोट
13.		पांयला कला (आंशिक)	पांयला कला
14.			नेहरों की ढाणी
15.			कादानाडी
16.			पांयला खुर्द
17.			सडा
18.			गोलिया जीवराज
19.			कोशलु
20.			एड सिणधरी

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-


राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील चौहटन जिला बाडमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील सेडवा जिला बाडमेर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील सेडवा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त व पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. सं.	भू.अ. निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल	
	सेडवा (पूर्ण)	1	सेडवा
		2	चिचड़ासर मु0 आलू का तला (न.प्र.)
		3	भंवार
		4	शोभाला दर्शन
		5	सोनडी (न0प्र0)
		6	बामड़ला
		7	भैरुडी
		8	ओगाला
		9	गौड़ा (न0प्र0)
		10	केकड़
		11	कारटिया
		12	गंगासरा
	बीजासर (आंशिक)	13	बुरहान का तला
		14	सालारिया (भनोत)
		15	हरपालिया
		16	जानपालिया
		17	बीसासर
		18	बीजासर
		19	मीठे का तला

		20	सरुपे का तला
	बाखासर (पूर्ण)	21	फागलिया
		22	तरला (न0प्र0)
		23	हाथला
		24	साता (न0प्र0)
		25	अरटी (न0प्र0)
		26	नवातला बाखासर
		27	बाखासर
		28	भलगांव (न0प्र0)
		29	बावरवाला (न0प्र0)
		30	भंवरिया
		31	पनोरिया
		32	सारला
		33	झड़पा
	धनाऊ (आंशिक)	34	भूणिया
		35	कितनोरिया
		36	नवातला राठौड़ान
		37	बामणोर
		38	सांवा
		39	तालसर (भनोत)
		40	ईटादा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान, राजपत्र में, आगासी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/05/12
सहायक शासन सचिव